प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 05.08.2025

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में-

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा गिरफ्तार 02 वारण्टी का नाम पता 01. मोनू पुत्र बुधई निवासी पेड़ारी खुर्द थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर, 02. राधेश्याम पुत्र विदेशी निवासी पेडारी खुर्द थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता जीवन राजभर पुत्र छोटेलाल निवासी रमवापुर सरकारी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विश्वकर्मा गिरि, का० रामभूषण पटेल, का0 रविन्द्र निषाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 90 वाहनों से 112000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 90 वाहनों से 112000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 05.08.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2019 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त बजरंग साहनी पुत्र शिवमूरत साहनी निवासी खड़वार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को जूर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक का कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना दुधारा द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 10 हजार रु0 के साथ वाँछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 283/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्त क्रमशः 01. शोएब उर्फ पावा पुत्र बैतुल्लाह 02.अलतमश उर्फ कल्लू पुत्र अब्दुल लतीफ 03. सचिन कुमार गौतम पुत्र सर्वजीत निवासीगण बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगरनगर को चोरी के 10 हजार रु0 नकद के साथ लाइफ लाइन हास्पिटल जाने वाली रोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***वादी अब्दुल मोतीन पुत्र मुर्तजा हुसैन निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा दिनांक 04.08.2025 को थाना दुधारा पर तहरीर दिया गया कि उनके घर से उनके जेब में रखे 11000 रु0 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 283/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कराया गया था*।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. शोएब उर्फ पावा पुत्र बैतुल्लाह निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगरनगर।

02.अलतमश उर्फ कल्लू पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगरनगर।

03. सचिन कुमार गौतम पुत्र सर्वजीत निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगरनगर।

बरामदगी का विवरण – चोरी के 10 हजार रु0 नकद।

पूछताछ विवरण-उक्त अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि तीनों लोगों को पैसे की काफी आवश्यकता थी, शोएब उर्फ पावा ने बताया कि गाँव के अब्दुल मोतीन के घर चोरी करने हेतु 02,03 दिन से रेकी कर रहे थे, दिनांक 03/04.08.2025 की रात्रि में जब सब सो गए तो मैं कल्लू तथा सचिन के सहयोग से मोतीन के घर के पीछे से चढ़कर आंगन के सरिया को हटाकर अन्दर घुस गया जहाँ अब्दुल मोतीन के कुर्ते में रखे 11 हजार रुपए चोरी कर लिया तथा मैने 4000 रु0 तथा कल्लू तथा सचिन को 03-03 हजार रुपए दे दिए। 1000 रु0 खाने पीने में खर्च कर दिए शेष बरामद 10 हजार रु0 इसी चोरी के है । **उक्त प्रकरण संबन्ध में आज दिनांक 085.08.2025 को पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

गिरफ्तारी टीम- उ0नि श्री अनिल मिश्रा, हे0का0 अरविन्द कुमार यादव, का0 राधेश्याम गिरि, का0 रत्नेश सिंह, का0 सोनू यादव।